30/6/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/8/3 को पेश हो।

13/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 7/10/3 को पेश हो।

7/10/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 28/10/3 को पेश हो।

28/10/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 17/12/3 को पेश हो।

17/12/3 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर, अप्रार्थी सं. 7 व 10 की तामील मूल पत्र में हो चुकी है, बावजूद तामील हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 7 व 10 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वाद अधि. मूल प्रार्थना-पत्र पर एकतरफा सुनी गई। वाद प्रस्तुत अधिनियम 1961 के। वाद पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मूल वाद लाये निषेधाज्ञा का है जिसमें वाद का निर्धारण तात्विक तथ्यों के आधार पर किया जाना है। दौराने वाद विवादित भूमि का विक्रय करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं, अतः अप्रार्थियों को विवादित भूमि के विक्रय से रोक पाबंद किया जाना न्यायोचित है। वाद बहुलता को बढ़ने से रोकने के लिए भी आवश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थियों को आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 2376/1546 रकबा 1.65 हैक्टर की बाबत कस्बा सीकर तहसील व जिला सीकर की भूमि का बैचान तादौराने वाद सं. 125/2021 तक नहीं करें। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नाथ से दर्ज है, वादिगण हाजिर। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से उच्चारित।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर